

जिला प्रभारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

नाम:-

पिता का नाम :-

माता का नाम:-

योग्यता :-

पता :-

मकान नं.

मोहल्ला पोस्ट ऑफिस

पुलिस स्टेशन जनपद

पिन कोड नं. फोन नं.

मो. नं. व्हाट्सअप नं.

ईमेल आईडी.....

:- घोषणा :-

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैं किसी ऐसी संस्था/संगठन अथवा समूह से सम्बद्ध नहीं हूँ जिससे बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ०प्र० द्वारा जारी आचार संहिता का उल्लंघन होता हो और यह भी वचन देता/देती हूँ कि अपनी सेवा अवधि में ऐसी किसी संस्था/संगठन अथवा समूह से सम्बन्ध नहीं रखूँगा/रखूँगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

जिला प्रभारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित है

प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों पर में मानद जिला प्रभारियों की आवश्यकता है, इच्छुक अभ्यर्थी
ईमेल upelectrohomoeopathy@gmail.com पर आवेदन कर सकते हैं :-

योग्यता- बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 द्वारा पंजीकृत व अधिकृत चिकित्सक

आयु- न्यूनतम 22 वर्ष

मानदेय - मासिक रूपया एक

सेवा अवधि - एक वर्ष (प्रदर्शन के अनुसार बढ़ायी/घटायी जा सकती है।)

कार्य - जनपदीय रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पर उपलब्ध कराना, भरे हुए फार्मों को स्वीकार करना, पंजीकृत प्रमाण पत्र जारी करना तथा आवश्यकतानुसार जारी प्रमाणपत्रों का सत्यापन करना / कराना।

विशेष कार्याधिकारी

बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0

8-लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ-226001

प्रशासन कार्यालय : 127/204 "एस" जूही, कानपुर-208014

email: bchm.up@rediffmail.com



इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों हेतु आचार संहिता

- 1- सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अपने साइनबोर्ड,लेटरपैड एवं रोगी परचे पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फिजीशियन (EH Dr.) शब्द का उल्लेख करें।
- 2- हर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अपने चिकित्सालय पर लगे साइनबोर्ड पर अपनी योग्यता स्पष्ट तौर पर अंकित करें।
- 3- इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की औषधियों का ही प्रयोग करे इसके अतिरिक्त किसी अन्य पद्धति की औषधियों का न प्रयोग करेगा और न ही उनका भण्डारण करेगा।
- 4- बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 द्वारा प्रमाणित औषधि निर्माता एवं विक्रेता से ही औषधि खरीदेगा।
- 5- बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसायिक एसोसिएशन की ही सदस्यता धारण करेगा।
- 6- बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सम्बन्धित मुकदमा न तो दायर करेगा और न ही किसी मुकदमे में सम्बलित होगा।